न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2016/00285(137/16) दर्ज तिथिः—31.08.2016

1. धाईदेवी पत्नी पुखराज
   जाति जैन निवासी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अणदाराम पुत्र अमराराम
2. शोभाराम पुत्र किस्तूराराम
   जाति जाट निवासी लुम्भनाथ उडासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री भाखराराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—10.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा संख्या 662/5/4.8805 है0 मौजा खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा प्रतिवादीगण का हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादी की उक्त हिस्सा आराजी के कृषि काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:52:07 IST
Reason: SelfAttested

बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण आसलतन—वकालतन उपस्थित न्यायालय हुए। प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर वादी के साथ—साथ प्रतिवादीगण के हिस्से की आराजी का विभाजन किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.07.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार नोखड़ा से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1759 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। उक्त आपत्ति को न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जाकर प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता वादी द्वारा तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव वादीनी को सूचित किये बिना एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बनाया हुआ नहीं होने से विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जाने का निवेदन किया गया। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति प्रदान करते हुए विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। तहसीलदार नोखड़ा द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2024/1759 दिनांक 08.11.2024 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 21.10.2024 को तहसीलदार नोखडा द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:52:07 IST
Reason: SelfAttested

मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	कार्यालय तहसीलदार तहसील नोखडा के नोटिस पत्रांक 518—520 दिनांक 14.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील नोखडा के नोटिस पत्रांक 518—520 दिनांक 14.10.2024 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 21.10.2024 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

3. प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा वादीनी को सूचित किये बिना एवं बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव प्रेषित नहीं किया होने से पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का निवेदन किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार नोखड़ा द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार नोखडा द्वारा वादीनी को पूर्वसूचित किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। साथ ही मौके की स्थिति तहसीलदार नोखड़ा द्वारा बरंग दर्शाई गई है। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार, नोखड़ा, मय भू—अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के मौके पर उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है एवं प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार नोखड़ा स्वयं के हस्ताक्षर मौजूद है। वादी द्वारा प्रकरण को महज लम्बा करने की नियत से उक्त आपत्तियां प्रस्तुत की जा रही है। जबकि मौका जांच से पूर्व तहसीलदार नोखड़ा द्वारा वादीनी को जरीये रजिस्टर्ड नोटिस सूचित किया जा चुका था। परंतु वादीनी मौका निरीक्षण की तिथि को उपस्थित नहीं होकर अंतिम निर्णय के समय न्यायालय में उक्त विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। उक्त आपत्ति इस स्तर पर पोषणीय नहीं होने से वादीनी की उक्त आपत्ति अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

4. प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2071—2074 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 662/5/4.8805 है0 मौजा खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। प्रतिवादी की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन—प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा—ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:52:07 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ—साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार हैः—

प्रथम— स्वामित्व एवं कब्जाः— प्रकरण के बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह—काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय— सुविधा का सन्तुलनः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय— अपूरणीय क्षतिः— प्रकरण में बाद तकसीम पृथक—पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक—पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद—रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक—पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 662/5/4.8805 है0 मौजा खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस मय नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:52:07 IST
Reason: SelfAttested

करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अणदाराम पुत्र अमराराम जाति जाट सा0 लूंभनाथ नगर खातेदार	खीचड़ों का वास	662/5	1.2201	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2201 है0				
शोभाराम पुत्र किस्तूराराम जाति जाट सा0 लूंभनाथ नगर खातेदार	खीचड़ों का वास	662/5	1.2201	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2201 है0				
धाईदेवी पत्नी पूखराज जाति जैन सा0 देह खातेदार	खीचड़ों का वास	661/5	2.4403	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.4403 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार नोखड़ा को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:52:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2016 / 00285(137 / 16) दर्ज तिथिः—31.08.2016

1. धाईदेवी पत्नी पुखराज
   जाति जैन निवासी बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अणदाराम पुत्र अमराराम
2. शोभाराम पुत्र किस्तूराराम
   जाति जाट निवासी लुम्भनाथ उडासर तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

.....असल प्रतिवादीगण

3. तहसीलदार नोखड़ा

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री जगदीश विश्नोई
प्रतिवादीगणः—श्री भाखराराम

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 662 / 5 / 4.8805 है0 मौजा खिचड़ों का वास तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस मय नक्शा नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार नोखड़ा को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
अणदाराम पुत्र अमराराम जाति जाट सा0 लूंभनाथ नगर खातेदार	खीचड़ों का वास	662 / 5	1.2201	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2201 है0				

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:52:07 IST
Reason: SelfAttested

शोभाराम पुत्र किस्तूराराम जाति जाट सा0 लूंभनाथ नगर खातेदार	खीचड़ों का वास	662/5	1.2201	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 1.2201 है0				
धाईदेवी पत्नी पूखराज जाति जैन सा0 देह खातेदार	खीचड़ों का वास	661/5	2.4403	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.4403 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना—अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 10.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:52:07 IST
Reason: SelfAttested